न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 39/2019

1 श्रीराम उम्र 80 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 मनोज कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढ़ाणी तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीराम बनाम मनोज कुमार
मुकदमा नम्बर 308/2018 आदेश दिनांक 22.05.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

दिनांकः– 9-12-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 308/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अदालत मातहत के यहां एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 236 सरहद मौजा भाटीवाड़ तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थापित भूमिगत बोंरिग में अकेले रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से रेस्पोडेंट संख्या 02 विधुत सम्बन्ध स्थापित नही करें। अपीलांट के उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 22.05.2019 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

रेस्पोडेंट के बावजुद तामील अनुपस्थित रहने पर अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों से इनकार नही किया। सहखातेदारी की भूमि में विधि अनुसार किसी एक के नाम बोरवेल हेतु विधुत कनेक्शन नही लिया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना हमारा आवेदन खारिज किया है। यह विधि विरूद्व है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 361 एवं ए.आई.आर. 1995 राजस्थान पेज 17 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि सहकाश्तकारी की होना साबित है सहकाश्तकारी की भूमि में अवस्थित बोरिंग पर विधुत कनेक्शन किसी एक पक्षकार के नाम से लिया जाना समुचित नही है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2002 पेज 361 में माननीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Tenancy Act, Sections 88,188- Revision against order of R.A.A. - Held, Jambandi St. 2050-53 reveals that disputed land is in the co-tenancy of the parties- Petitioner/ defendant wants to take electric connection to draw water from the well- Permission cannot be given because it will be detrimental to the other party and no water will be available to the other party - Order of R.A.A., held justified. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पोडेट्स को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी की भूमि नया खसरा नम्बर 236 में अवस्थित भूमिगत बोरिंग में अकेले के नाम से विधुत कनेक्शन ना लेवें, ना देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/12/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर